2/26/2020

संख्या– /XIX-1/20–26/2019–टी0सी0

उपायुक्त (मुख्यालय)

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मु0वि0अ0
26/02/2020

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 18 फरवरी, 2020

विषयः– नये पी0वी0सी0 राशन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–709/XIX-1/19-26/2019–टी0सी0, दिनांक–01.08.2019 एवं आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–2592/आ0खा0/303–II/2019, दिनाक–15.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तर पर प्रचलित राशन कार्डों की अवधि वर्ष 2018 में समाप्त होने एवं वर्तमान में राशन कार्ड डाटा के शुद्धीकरण के प्रथम चरण की कार्यवाही के दृष्टिगत नवीन राशन कार्डों के मुद्रण व वितरण का कार्य निम्नलिखित दिशा–निर्देशानुसार प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

(1) नये राशन कार्ड का पी0वी0सी0 में मुद्रण का कार्य आयुक्त कार्यालय स्तर पर चयनित फर्मों द्वारा किया जायेगा।

(2) नये राशन कार्ड मुद्रण हेतु सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों द्वारा पी0डी0एफ0 रिपोर्ट दुकानदारवार बनाकर सम्बन्धित फर्म को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। पूर्ति निरीक्षकों द्वारा आर0सी0एम0एस0 के माध्यम से केवल उन्हीं राशन कार्डों की पी0डी0एफ0 जेनरेट की जायेगी, जिनकी समस्त यूनिटों का आधार तथा समस्त सूचनाओं का वेलिडेशन कर लिया गया हो।

(3) राशन कार्ड की पी0डी0एफ0 रिपोर्ट निर्धारित तिथि एवं समय से निर्धारित तिथि एवं समय तक [from (date&time).....to (date&time)] जनरेट की जायेगी।

(4) फर्म द्वारा निर्धारित मानक, माप, मात्रा और गुणवत्ता के अनुरूप तैयार किये गये राशन कार्डों का दुकानदारवार बन्डलिंग करते हुए, तहसीलवार वितरण हेतु निर्धारित तिथि तक व्यक्तिगत रूप से जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3957
26/02/2020

(5) राशन कार्ड की प्राप्ति के उपरान्त जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्म को रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त राशन कार्डों के मूल्य की धनराशि का मासिक रूप से भुगतान (10 प्रतिशत छोड़कर) किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) नये राशन कार्ड पर अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में सम्बन्धित जिलापूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(7) शहरी क्षेत्रों में नये राशन कार्डों का वितरण जिलापूर्ति कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय एवं सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के माध्यम से यथाआवश्यकता क्षेत्रों में कैम्प लगाकर किया जायेगा। इस हेतु पुराने राशन कार्ड जमा कराये जायेंगे तथा नये राशन कार्ड की धनराशि प्राप्त कर जिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी के नाम बनाये गये रिवाल्विंग फण्ड में जमा करायी जायेगी। जमा की जाने वाली धनराशि की समीक्षा मासिक रूप से की जायेगी।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड पूर्व की भांति सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से वितरण किया जायेगा। तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों को राशन विक्रेतावार नये राशन कार्ड के बण्डल (मय विवरण) उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यथाआवश्यकता ग्राम पंचायत की बैठक में अथवा कैम्प लगाकर नये राशन कार्ड उपभोक्ताओं से उपरोक्तानुसार धनराशि प्राप्त करते हुये वितरण किया जायेगा। इस हेतु पुराने राशन कार्ड जमा कराये जायेंगे तथा नये राशन कार्ड की धनराशि प्राप्त कर जिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी के नाम बनाये गये रिवाल्विंग फण्ड में जमा करायी जायेगी। जमा की जाने वाली धनराशि की समीक्षा मासिक रूप से की जायेगी।

(9) नये राशन कार्ड जारी होने के उपरान्त पुराने राशन कार्डों की कोई आवश्यकता न होने के कारण जनपद में संग्रहित समस्त पुराने राशन कार्डों को नष्ट किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जलाकर नष्ट किया जायेगा। नष्ट किये जाने वाले राशन कार्डों का विवरण रखा जायेगा।

(10) अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना हेतु जनपदों का लक्ष्य पूर्व से निर्धारित है। नवीनीकरण के दौरान लक्ष्य से अधिक राशन कार्ड किसी भी परिस्थिति में न बनाये जायें (इस हेतु जनपद के यूनिट के लक्ष्य से भी मिलान कर लिया जाये)। नवीनीकरण के दौरान/उपरान्त कार्डधारक के अपात्र पाये जाने, मृत्यु, स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी भी कारण से राशन कार्ड/यूनिट कम होने की स्थिति में पूर्व में दिये गये शासनादेश सं0–436/09–XIX/खाद्य/111 एफ/2009 दिनांक–25 फरवरी, 2009, शासनादेश संख्या–361/13–XIX–2/40 खाद्य/2009 दिनांक–15 जुलाई, 2013 एवं शासनादेश संख्या–427/13–XIX–2/40 खाद्य/2009 दिनांक 07 अगस्त, 2013 तथा शासनादेश संख्या–801/14–XIX-2/89 खाद्य/2013, दिनांक–04 मार्च 2014 के अनुसार नये पात्र परिवारों का चयन कर नये राशन कार्ड जारी किये जायेंगे।

(11) यदि किसी राशन कार्डधारक के स्थानान्तरण, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से यूनिट निरस्त होता है तो ऐसी स्थिति में कार्डधारक का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित कार्यालय से नया राशन कार्ड प्रिन्ट करवायेंगे। उक्त नवीनीकरण कार्य हेतु कार्डधारक से नये राशन कार्ड हेतु निर्धारित मूल्य रू0–17 (रू0–सत्रह मात्र) ही लिया जायेगा।

(12) राशन कार्ड खोने, क्षतिग्रस्त होने आदि की स्थिति में डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी किया जायेगा। इस हेतु राशन कार्डधारक से रू0–25 डुप्लीकेट राशन कार्ड की कीमत ली जायेगी।

(13) वर्तमान में कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया के उपरान्त मास्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर के Manually बनाये जाने की उपयोगिता नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में आर0सी0एम0एस0 के माध्यम से दुकानवार कार्डधारकों की सूची प्राप्त करते हुये राशन की दुकान में दुकान रजिस्टर अभिरक्षित की जायेगी। काउन्टर रजिस्टर पूर्व की भॉति बनाये जायेंगे।

(14) राज्य में एकरूपता के दृष्टिगत अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के प्रति राशन कार्ड का मूल्य रू0–17 (रू0–सत्रह मात्र) निर्धारित किया गया है।

(15) नये राशन कार्ड में तकनीकी कारणों से 10 यूनिट के राशन कार्ड के मुद्रण का प्राविधान किया गया है। 10 यूनिट से अधिक का राशन कार्ड होने की स्थिति में 10 यूनिट का ही नया राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा। इसके साथ पृथक से आर0सी0एम0एस0 के माध्यम से कार्डधारक को राशन कार्ड का प्रिंट आउट भी उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या– 85 /XIX-1/20–26/2019–टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
8– आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10– उपायुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव।